

उप बण्ड अधिकारी हरनगढ़

पिठासिद्धि : कच्चीकारी : - अनिल कुमार RAJ

प्राण्डा प्यारा 136 प्लॉट मुक 55/200

निर्णय दिनांक 8-9-2020

बनवारीलाल पूजा मोहनराम पति सुधा (निकासी सेहल
तहसील हरनगढ़ प्लॉट न्यून पार्को
बनाम

बादाम्यान सरमा पत्निये बहसीलया हरनगढ़ पार्को

उपस्थित

पार्को मदनसिंह पंड

अपे 0 राफ



निर्णय

पार्को के बहिर् की ओर से पार्कोन पत्र इस
उमा पेशा हुआ की पार्को में संयुक्त खातेदारी भूमि जलम
सहला की शेही में खाला खंरला नया 40 व खैर खेसा
नम्ब 107 309 मुक लादादी 85742 हम्पेया स्थिर चली
आ रही है पार्को का उक्त भूमि में हिस्सा 57/452 स्थिर है पार्को
जलह नाम खलप रेमडि में सामान्य के प्यार पा सही
नाम बनवारीलाल कराना चारण है पार्को में उक्त नाम मुह के
कनाम में सामा द्वारा जारी विभिन्न नोटनामा का लाभ
प्राप्त नहीं हो रहा है पार्को का कान्य बरसाबेगार खेदिण
देदाबेद, सशन कडि महदारा पहयानपत्र, कान्या कडि, पति
उमाण पत्र, भूत निकास उमाण पत्र, भामाशाह कडि कडि में

नाम कनवारीलाल पुत्र मोहनराम अंकित है इमति
रामस्वरूप पुत्र मोहनराम के स्थान पर सखि नाम कनवारीलाल
पुत्र मोहनराम शपथ रेकर्ड में संशोचन करने का
निवेदन किया है।

प्राची का प्रार्थन पत्र दर्ज रजिस्ट्रार क्रिया
पामा नहरीनदा रतनगढ़ में रिपोर्ट मंगवायी
गयी नहरीनदा रतनगढ़ में रिपोर्ट मंगवायी है
की प्रारम्भिक उलग के शपथ रेकर्ड रवेर
शुण्ड 107 309 में प्राची का नाम रामस्वरूप पुत्र
मोहनराम है जकी काच्या कडि, राशन कडि तथा
अन्य दस्तावेजों में प्राची का नाम कनवारीलाल
पुत्र मोहनराम अंकित है इमट दोनों नाम एक ही
व्यक्ति का है। जब अन्य दस्तावेजों के काच्या पर
प्राची का नाम रामस्वरूप पुत्र मोहनराम के स्थान पर
कनवारीलाल पुत्र मोहनराम संशोचन क्रिया जान उचित
है। प्रात रिपोर्ट एवं प्रारुत दस्तावेजों के काच्या पर
यह ध्यायानभ प्राची का शपथ रेकर्ड में रामस्वरूप पुत्र
मोहनराम के स्थान पर कनवारीलाल पुत्र मोहनराम
संशोचन क्रिया जान उचित समझा है।

आदेश


नहरीनदा रतनगढ़ को आदेश दिया जा रहा है
की रवेर शुण्ड नम्बर 107 309 कुन गददी 8-5742 गेही
उलग शपथ नहरीनदा रतनगढ़ में प्राची का



08/09/2020
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (बूस)

नाम रामस्वरूप पुत्र मोहनराम के स्वामिदा
बनवारीनाम पुत्र मोहनराम संशोधन किश
जाके ह्रादेश की प्रति पालनार्थ तस्मीलगा रत्नाद
को सिफवासी जाके

निर्णय काल दिनांक 08/09/2020 को
शुद्धले न्यायालय में सुनाया गया


उप लष्क अधिकारी
रतनगढ़ (बृल)

